न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

पीठासीन अधिकारी :– **राकेश कुमार II (आरएएस)**
मुकदमा नं. :– 60 / 2024
निर्णय दिनांक :– 02.09.2024

1. भँवरलाल जांगिड पुत्र गोपाल लाल जांगिड़, जाति खाती, निवासी ग्राम सांवा का बास, तहसील फागी जिला दूदू राज.।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार जी, तहसील फागी, जिला दूदू, राज०।

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 02.09.2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खतौनी संख्या 76 के आराजी खसरा नं 228 रकबा 1.4921 हैक्टेयर, व खतौनी सं. 29 के आराजी खसरा नं. 224 रकबा 0.6575 हैक्टेयर, खसरा नं. 225 रकबा 0.6323 हैक्टेयर, खसरा नं. 226 / 2 रकबा 0.3414 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.6312 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सांवा का बास तहसील फागी, जिला दूदू में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्त है एवं मौके पर काबिज काश्त है लगान सरकारी जमा कराता आ रहा है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वादी की पैतृकि सम्पत्ति है एवं स्व. गोपाल लाल जांगिड जो कि वादी के पिताजी थें वादी के पिता के फौत होने पर वादी व श्योजीराम के नाम विरासत से दर्ज किया गया है जबकि विरासत के नामान्तकरण में वादी का नाम भंवरलाल पुत्र गोपाल दर्ज कर दिया गया क्योंकि वादी का रिकार्डेड नाम भँवरलाल जांगिड पुत्र गोपाल लाल जांगिड है जबकि भँवरलाल पुत्र गोपाल व भँवरलाल जांगिड पुत्र गोपाल लाल जांगिड नाम का एक ही व्यक्ति है इस नाम का ग्राम सांवा का बास में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। उक्त विवादग्रस्त आराजी पर पूर्व में वादी के पिता स्व. गोपाल लाल जांगिड काबिज काश्त थे उनकी फौती पर उनके कानूनी वारिस वादी अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी को बडे–बुढे भँवरलाल के नाम से बोलते थे इसलिए वादी के पिता की फौती पर वादी के बोलते नाम से ही फौती का नामान्तकरण खोल दिया गया है। वादी के पिता की विरासत का नामान्तकरण खोलते समय मजमेआम में नामों की सही जॉच नहीं कर व वादी के परिवार वालों से स्व. गोपाल लाल जांगिड के वारीसों के सही नामों की जानकारी नही की एवं वादी स्वयं उस समय

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जिला–दूदू)

लगातार.....2

बाहर कमाने खाने गया हुआ था इसलिए वादी के बोलते नाम से ही नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया है इस प्रकार स्व. गोपाल लाल जांगिड की विरासत के नामान्तकरण के रिकार्ड के अनुसार ही वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज हो गया जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं रही जबकि अन्य दस्तावेज व रिकार्ड में वादी का नाम भँवरलाल जांगिड पुत्र स्व. गोपाल लाल जांगिड दर्ज करवा रखा है। वादी भंवरलाल जांगिड पुत्र स्व. गोपाल लाल जांगिड जाति हरियाणा ब्राह्मण नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम सांवा का बास में नहीं है बल्कि वादी के सभी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक से पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादी का नाम भंवरलाल जांगिड पुत्र स्व. गोपाल लाल जांगिड है इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है। वादी ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जो बाहर रहकर ही कमाते खाते है तथा अपने परिवार का पालन पोषण करते है जिसको राजस्व रिकार्ड में राज कर्मचारियों द्वारा अपने व अपने पिता का गलत नाम दर्ज करने की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं रही है अभी हाल ही में दिनांक 25/07/2024 को वादी ने के. सी. सी. लोन लेने के लिए पटवारी हल्का से जमाबंदी, गिरदावरी लेने हेतु सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया की राजस्व रिकार्ड में आपका व आपके पिता का नाम ही भँवरलाल पुत्र गोपाल दर्ज है इस प्रकार वादी को अपने नाम गलत दर्ज होने की जानकारी हुई वादी उक्त गलती को दुरूस्त करवाने के लिए जब प्रतिवादी सं. 1 के पास गया तो दिनांक 25/07/2024 को प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त गलती को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया एवं सक्षम मान्य न्यायालय में चाराजोही करने के लिये कहा इसलिये यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जाना लाजमी हुआ है। स्व. गोपाल लाल जांगिड का विरासत का नामान्तकरण खोलते समय वादी बाहर खाने कमाने गये होने एवं कानून की जानकारी नहीं होने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम को गलत दर्ज कर दिया गया एवं जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है एवं दुरूस्ती के लिये उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त आराजी वादी की पैतृकि सम्पत्ति है जिसके राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त नहीं किया गया तो वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं वादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उक्त वाद में प्रतिवादी सं. 1 राज्य सरकार का कर्मचारी है जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उक्त अवधि वेव फरमाई जाकर न्यायालय की अनुमति से उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी को वाद कारण दिनांक 25/07/2024 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी का नाम को दुरूस्त करने से इंकार करने एव मान्य न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर उक्त वाद मान्य न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है। वाव वादी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकार का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जवाब मे बताया कि ग्राम सांवा का बास के आराजी खसरा नं. 228 रकबा 1.4921 हैक्टेयर, खसरा नं. 224 रकबा 0.6575 हैक्टेयर, खसरा नं. 225 रकबा 0.6323 हैक्टेयर, खसरा नं. 226/2 रकबा 0.3414 हैक्टेयर खातेदार भंवरलाल पुत्र गोपाल जाति खाती सा. देह दर्ज रिकार्ड है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 30.08.2024 के अनुसार भंवरलाल पुत्र गोपाल एवं भंवरलाल जांगिड पुत्र गोपाल लाल जांगिड दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। उक्त नाम का ग्राम सांवा का बास में अन्य कोई व्यक्ति नही होना बताया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 76 के खसरा नंबर 228 व खाता संख्या 29 के खसरा नंबर 224, 225, 226/2 वाके ग्राम सावां का बास की उक्त विवादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल पुत्र गोपाल जाति खाती दर्ज है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब मे वादी का नाम भंवरलाल पुत्र गोपाल व भंवरलाल जांगिड पुत्र गोपाल लाल जांगिड दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे व तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 76 के खसरा नंबर 228 व खाता संख्या 29 के खसरा नंबर 224, 225, 226/2 भूमि वाके ग्राम सांवा का बास तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान मे स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन भंवरलाल पुत्र गोपाल के स्थान पर भंवरलाल जांगिड पुत्र गोपाल लाल जांगिड जाति खाती दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी को अपने राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूदू

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)
बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

भँवरलाल जांगिड़ पुत्र गोपाल लाल जांगिड़, जाति खाती, निवासी ग्राम सांवा का बारा, तहसील फागी जिला दूदू राज.।

बनाम

तहसीलदार जी, तहसील फागी, जिला दूदू, राज०।

::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 60 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री मुकेश चौधरी हाजिर रूबरू मिनजानिब पैरोकार सरकार मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त खाता संख्या 76 के खसरा नंबर 228 व खाता संख्या 29 के खसरा नंबर 224, 225, 226 / 2 भूमि वाके ग्राम सांवा का बास तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान मे स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे भंवरलाल पुत्र गोपाल के स्थान पर भंवरलाल जांगिड पुत्र गोपाल लाल जांगिड जाति खाती दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी को अपने राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा।

निज 0 मुबलिग 0 बाबत 0 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह 0 फीसदी 0 सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक 0 का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.09.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला – दूदू सत्यमेव जयते

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला–दूदू

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प अर्जी		
वकालतनामा			महन्ताना वकील		
स्टाम्प वजह सबुत			खर्चा गवाहान		
महन्ताना वकील			फीस कमीश्नर		
खर्चा गवाहान			बबत इजराय		
फीस कमीश्नर			हुक्मनामा		
बबत इजराय			मुतफरिक		
हुक्मनामा			मीजान		
मुतफरिक					
मीजान					

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू